


02.12.22

पत्रावली पेश। मार्गी स्वयं एवं कमील  
मार्गी उपस्थित। मूल वाद पक्ष विस्तारित किया  
जा चुका है। (पेली स्थिति में यह मार्गीका पक्ष  
सारक्षित होने पर इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है। पूर्व में जारी इंटरिम आस्थापना  
निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली वाद  
तरीक तर्कपूर्ण होकर सबिखत हुकूमत हो।

(~~सिद्धेश्वर तलमिया~~)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

विशाला 12/12/22

A. by me.

  
02/12/22